<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर</u>

दिनांक- 12.10.2022

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या 671 सन् 2022 अर्न्तगत धारा 411 भारतीय दंड संहिता , सरकार बनाम रामभूल, थाना खुर्जा नगर , जिला बुलन्दशहर मे मिनजानिब रामभूल पुत्र गंगादास सैनी का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

प्रस्तुत प्रकरण में उक्त अभियुक्त दिनांक 11.10.2022 से जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उक्त अभियुक्त को अपराध में झूठा फंसाया गया। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त का आपराधिक इतिहास मंगाने की आख्या प्रस्तुत की गयी परन्तु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण शीघ्र करने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर व अजमानतीय प्रकृति का प्रतीत होता है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना न्यायोचित व न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। न्यायालय के मतानुसार उक्त अभियुक्त का जमानत हेतु कोई आधार पर्याप्त नही है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(श्रद्धा देवा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।
जे.ओ. कोड– यू.पी. 2268

स्टेनोः-प्रिया श्रीवास्तव